बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग
कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– 111

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 04/08/2020

विषय – बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया, धौरया, चान्दन, बौसी, फुल्लीडुमर, बेलहर, बराहाट एवं बाँका प्रखंड के पथ किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.867 हे० वन भूमि का "Vindhya Telelinks Ltd. पटना के पक्ष में" अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के पत्रांक 11-09/98 FC दिनांक 07.09.2015 के आलोक में एवं बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, के पत्रांक 642 (ई०) दिनांक 30.05.2018 तथा पत्रांक 1371 (ई०) दिनांक 19.12.2018 द्वारा निजी एजेंसियों के लिये भी अपयोजन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से अनुमोदनोपरान्त स्वीकृति आदेश निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।

2. बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया, धौरया, चान्दन, बौसी, फुल्लीडुमर, बेलहर, बराहाट एवं बाँका प्रखंड के पथ किनारे ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.867 हे० वन भूमि अपयोजन हेतु Vindhya Telelinks Ltd. पटना का प्रस्ताव आवश्यक प्रविष्टि उपरान्त वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें अपयोजित होने वाली वन भूमि एवं पातित होने वाली वृक्षों की संख्या निम्नलिखित है–

क्रम सं०	वन प्रमंडल का नाम	क्षेत्रफल (हे० में)	पातित होने वाली वृक्षों की संख्या
1	बाँका	2.867	0
	कुल	**2.867**	**0**

3. प्रस्तावित ऑप्टिकल फाईबर केबल बाँका जिलान्तर्गत कटोरिया, धौरया, चान्दन, बौसी, फुल्लीडुमर, बेलहर, बराहाट एवं बाँका प्रखंड के अधिसूचित पथ (वन भूमि) किनारे से हो कर गुजरती है। उक्त पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या 921 (E) दिनांक 28.08.1997 द्वारा अधिसूचित है। **इस क्रम में तालिका के अनुसार कुल 2.867 हे० वन भूमि के अपयोजन एवं शून्य वृक्षों के पातन की अनुशंसा वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक द्वारा किया गया है।** वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपयोजित होने वाली वन भूमि वन्यप्राणी आश्रयणी एवं राष्ट्रीय उद्यान का भाग नहीं है।

4. वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि का वानस्पतिक घनत्व 0.1 प्रतिवेदित किया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा भाग–II की प्रविष्टि में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं करने की सूचना अंकित किया गया है। ऑप्टिकल फाईबर केबल लाईन को मूल टोपो शीट नक्शा पर दर्शाते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा हस्ताक्षरित मूल टोपो शीट नक्शा Index के साथ संलग्न किया गया हैं। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपयोजित होने वाली वन भूमि का Geo Reference Map ऑनलाईन में प्रर्दशित है।

5. परियोजना निर्माण में अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-43/2013-FC दिनांक 26.02.2019 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र, सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र के अनुपालन के बाद उपलब्ध कराने संबंधित दिशा–निर्देश निर्गत की गयी है। तदआलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण पत्र के ही प्रस्ताव पर Stage-I की स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव सरकार को अग्रसारित किया जा रहा है।

6. परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 2.867 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 5.734 हे० अर्थात् 6.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि को वन प्रमंडल, बाँका के बाँका प्रक्षेत्र अन्तर्गत माताथान फुल्लीडुमर टोला–धावावरण PF को चिन्हित किया गया है। वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिये उपर्युक्त है, से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका द्वारा समर्पित किया गया है एवं क्षतिपूरक वनीकरण के लिये चिन्हित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा तैयार कराया गया है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

6. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों सहित प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है।

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. Optical fiber Cable प्रस्ताव हेतु NPV देय नहीं है।
3. अपयोजित होने वाली 2.867 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये बाँका वन प्रमंडलन्तर्गत 6.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि माताथान फुल्लीडुमर टोला–धावावरण PF सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रू० 26,30,986/– मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जाएगी।

प्रस्ताव की एक प्रति अनुलग्नक सहित अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न भेजी जा रही है। उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

अपयोजन स्वीकृति का यह आदेश उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिये 5 (पाँच) हे० वन भूमि के अपयोजन की शक्ति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को देने के क्रम में अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जायेगा।

अनुरोध है कि प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय, जिसके बाद नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार के द्वारा Stage-I स्वीकृति पत्र निर्गत किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

04.2.2020

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।